एफ. सं. 11026/14/2015-एमएण्डई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: शहरी कंपोस्ट के संवर्धन की नीति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को शहरी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी नीति के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना देने का निवेश हुआ है जो इस प्रकार है।

i. उत्पादन और उत्पाद की खपत बढ़ाने के लिए शहरी कंपोस्ट पर 1500 रु. प्रति मी.टन की निर्धारित धनराशि के रूप में बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. प्रारंभ में शहरी कंपोस्ट का विपणन और संवर्धन विद्यमान उर्वरक कंपनियों के माध्यम से कराया जाएगा। बाद में कंपोस्ट उत्पादक और अन्य विपणन कंपनियों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, को भी उर्वरक विभाग के अनुमोदन से इस प्रयोजनार्थ शामिल किया जा सकेगा। बाजार विकास सहायता उस कंपनी के माध्यम से दिया जाएगा जो इसका विपणन कर रही हैं।

iii. उर्वरक विपणन कंपनियां जिला स्तर पर प्रथम बिंदु बिक्री (डीलर/खुदरा विक्रेता के लिए) आधार पर केवल 50% लेखागत भुगतान के लिए पात्र होंगी। शेष धनराशि को एमएफएमएस में खुदरा विक्रेता की पावती प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित राज्य सरकार द्वारा मात्रा और गुणता से संबंधित अपेक्षित प्रमाण पत्रों के जारी किए जाने पर जारी किया जाएगा। कंपोस्ट विनिर्माताओं सहित अन्य विपणन कंपनियों के मामले में यदि वे शहरी कंपोस्ट के संवर्धन और बिक्री से जुड़ें हों और संबंधित राज्य सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त हो तो उनको राजसहायता जारी करने हेतु तौर तरीकों को उर्वरक विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

iv. उर्वरक कंपनियां और विपणन कंपनियां अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ शहरी कंपोस्ट का भी सह-विपणन करेंगी। ऐसे सह-विपणन के कार्यान्वयन की तंत्र सीमा और रीति कंपोस्ट उत्पादन स्तरों, मांग, सृजन और अन्य संगत कारकों पर निर्भर करेंगी जिसका निर्णय उर्वरक विभाग द्वारा किया जाएगा। तथापि बाजार विकास सहायता का प्रावधान जैसा कि ऊपर पैरा (i) से (iii) में दिया गया है उपरोक्त उल्लिखित सह-विपणन के मुद्दें से जुड़ा नहीं होगा।

v. कंपनियों को कंपोस्ट के उपयोग के सवंर्धन हेतु गावों को भी अपनाना होगा।

vi. सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने बगवानी और संबंधित उपयोग हेतु सथा संभव शहरी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे।

viii. शहरी कंपोस्ट के लाभों के बारे में किसानों को जानकारी देने हेतु कृषि, सहकारिता ओर किसान कल्याण विभाग आईईसी अभियान चलाएगा। आईसीएआर केवीके सहित कृषि विस्तार तंत्रों द्वारा इस संबंध में विशेष प्रयास किए जाऐगे। कृषि विश्वविद्यालय और केवीके किसानों के बीच शहरी कंपोस्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके यथा संभव उपयोग हेतु फील्ड प्रदर्शन भी आंरभ करेगे। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण इस संबंध में केवीके को लक्ष्य सौपेंगा।

viii. शहरी विकास मंत्रालय सभी राज्यों में और कंपोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने हेतु कदम उठाएगा।

ix. बाजार में बेहतर लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बीआईएस के परामर्श से एक समुचित बीआईएस मानक/ईको मार्क विकसित किया जाएगा। इसके ब्रांड को इस तरह बनाया जाएगा कि जिससे ये स्पष्ट रूप से पता चले कि यह स्वच्छ भारत मिशान के एक भाग की पहल है।

x. कंपोस्ट विनिर्माता और उर्वरक विपणन कंपनियों के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर शहरी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता की निगरानी हेतु और उसे सुगम बनाने हेतु उर्वरक विभाग, शहरी विकास मंत्रालय और कृषि विभाग द्वारा एक संयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा। वे समन्वय संबंधी उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु प्राधिकृत होंगे।

xi. शहरी कंपोस्ट का उत्पादन और खपत बढाने के लिए बाजार विकास सहायता के लिए व्यय को उर्वरक विभाग के लिए किए गए बजट प्रावधानों में से पूरा किया जाएगा।

2. यह नीति कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

(डी.पी. श्रीवास्तव)
निदेशक, भारत सरकार
फोन: 011- 23389839

i. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागें के सभी सचिव
ii. राज्य सरकार के सभी मुख्य सचिव
iii. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, आईटीओ, नई दिल्ली
iv. महा निदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110067
v. अध्यक्ष, अपशिष्ट प्रबंधन एसोसिएशन, चौथा तल, गोपाल दास भवन, 28 बाराखभा रोड, नई दिल्ली
vi. सभी उर्वरक कंपनियां
vii. उर्वरक विभाग और एफआईसीसी कार्यालय आर.के.पुरम, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग
viii. निदेशक (एनआईसी)

प्रति: अनुराग जैन, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली